

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119

EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN

WEBSITE: WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक:एफ56(क)(24545)CE/DLB/MSRGY/2025/ 13958-14003

दिनांक: -09/10/2025

आयुक्त,

नगर निगम, अजमेर।

नगर परिषद, बांसवाड़ा, मकराना, नागौर, टोंक, जालोर, श्रीगंगानगर, किशनगढ़, सीकर, बूंदी, हनुमानगढ़।

अधिकाधिक अधिकारी,

नगर पालिका, अटारू, कुचामनसिटी, नावां, परबतसर, डीडवाना, बोरावड़, लाडनू, देवली, टोडारायसिंह, निवाई, दूनी, आहोर, सांचौर, रायसिंहनगर, गजसिंहपुर, अनूपगढ़, श्रीकरणपुर, दांता, खंडेला, खादूरगामजी, लक्ष्मणगढ़, श्रीमाधोपुर, उनियारा, सावर, केकड़ी, टांटोटी, छोटी सादड़ी, रींगस, नीमकाथाना, फतेहपुर, भीनमाल, पिंडवाड़ा, शिवगंज, पदमपुर, सूरतगढ़।

विषय:-मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अतिरिक्त बजट राशि आवंटन के संबंध में।

संदर्भ:-निदेशालय के पत्रांक 1259-1540 दिनांक 28.02.2025 एवं 11873-12183 दिनांक 22.07.2025 तथा 13150-13460 दिनांक 17.09.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के पत्रांक 1259-1540 दिनांक 28.02.2025 द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वर्ष 2025-26 हेतु आवंटित अंतरिम बजट प्रावधान निकाय स्तर पर श्रमिक रोजगार मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं होने की स्थिति में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक 11873-1218 दिनांक 22.07.2025 द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ तथा पत्रांक 13150-13460 दिनांक 17.09.2025 अनुसार संशोधित कार्य-योजना में आवश्यक पूर्तियां सुनिश्चित करवाते हुए अतिरिक्त बजट प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

नगरीय निकायों द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तुत अतिरिक्त मांग राशि प्रस्तावों के क्रम में निम्नानुसार संशोधित वित्तीय प्रावधान आवंटित कर निर्देशित किया जाता है कि योजना की मार्गदर्शिका एवं दिशा-निर्देशों अनुसार राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाय:-

वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा अतिरिक्त बजट मांग						
क्र.सं.	सम्भाग	जिला	निकाय का नाम	योजना अंतर्गत नगरीय निकाय की श्रेणी	वर्ष 2025-26 हेतु निकाय श्रेणी अनुसार निर्धारित प्रारम्भिक/अंतरिम बजट सीमा (रु. लाख)	वर्ष 2025-26 हेतु दिनांक 31.03.2026 तक के लिए अंतिम संशोधित वित्तीय प्रावधान (रु. लाख)
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	डीडवाना-कुचामन	कुचामनसिटी	नगर पालिका	60.00	175.25
2	अजमेर	डीडवाना-कुचामन	नावां	नगर पालिका	60.00	151.17
3	अजमेर	डीडवाना-कुचामन	परबतसर	नगर पालिका	60.00	175.98
4	अजमेर	डीडवाना-कुचामन	डीडवाना	नगर पालिका	60.00	66.32
5	अजमेर	डीडवाना-कुचामन	मकराना	नगर परिषद	100.00	196.92
6	अजमेर	डीडवाना-कुचामन	बोरावड़	नगर पालिका	60.00	178.93
7	अजमेर	डीडवाना-कुचामन	लाडनू	नगर पालिका	60.00	141.88
8	अजमेर	नागौर	नागौर	नगर परिषद	100.00	259.62
9	अजमेर	टोंक	देवली	नगर पालिका	60.00	89.17
10	अजमेर	टोंक	टोंक	नगर परिषद	100.00	220.77
11	अजमेर	टोंक	टोडारायसिंह	नगर पालिका	60.00	142.59

Signature valid

Digitally signed by Frank Chandrashekar Juihar
Designation : Director
Date: 2025.10.09 14:43:29 IST
Reason: Approved



E-File MSRGY Letter 2025-B/1

12	अजमेर	टोंक	निवाई	नगर पालिका	60.00	118.39
13	अजमेर	टोंक	दूनी	नगर पालिका	60.00	110.65
14	जोधपुर	जालोर	जालोर	नगर परिषद	100.00	299.76
15	जोधपुर	जालोर	आहोर	नगर पालिका	60.00	202.17
16	जोधपुर	जालोर	सांचौर	नगर पालिका	60.00	269.81
17	बीकानेर	श्रीगंगानगर	रायसिंहनगर	नगर पालिका	60.00	229.47
18	बीकानेर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	नगर परिषद	100.00	247.97
19	बीकानेर	श्रीगंगानगर	गजसिंहपुर	नगर पालिका	60.00	138.80
20	बीकानेर	श्रीगंगानगर	अनुपगढ़	नगर पालिका	60.00	194.16
21	बीकानेर	श्रीगंगानगर	श्रीकरणपुर	नगर पालिका	60.00	137.41
22	जयपुर	सीकर	दांता	नगर पालिका	60.00	203.02
23	जयपुर	सीकर	खंडेला	नगर पालिका	60.00	89.22
24	जयपुर	सीकर	खाटू	नगर पालिका	60.00	80.10
25	जयपुर	सीकर	लक्ष्मणगढ़	नगर पालिका	60.00	112.83
26	जयपुर	सीकर	श्री माधोपुर	नगर पालिका	60.00	191.10
27	अजमेर	टोंक	उनियारा	नगर पालिका	60.00	96.83
28	अजमेर	अजमेर	अजमेर	नगर निगम	150.00	389.90
29	अजमेर	अजमेर	किशनगढ़	नगर परिषद	100.00	225.11
30	अजमेर	अजमेर	सावर	नगर पालिका	60.00	238.17
31	अजमेर	अजमेर	कंकड़ी	नगर पालिका	60.00	240.20
32	अजमेर	अजमेर	टांटोटी	नगर पालिका	60.00	109.68
33	उदयपुर	प्रतापगढ़	छोटी सादडी	नगर पालिका	60.00	174.79
34	जयपुर	सीकर	रींगस	नगर पालिका	60.00	88.09
35	जयपुर	सीकर	सीकर	नगर परिषद	100.00	290.33
36	जयपुर	सीकर	नीम का थाना	नगर पालिका	60.00	131.20
37	जयपुर	सीकर	फतेहपुर	नगर पालिका	60.00	166.90
38	जोधपुर	जालोर	मीनमाल	नगर पालिका	60.00	215.63
39	जोधपुर	सिरोही	पिंडवाडा	नगर पालिका	60.00	181.08
40	जोधपुर	सिरोही	शिवगंज	नगर पालिका	60.00	196.02
41	कोटा	बूंदी	बूंदी	नगर परिषद	100.00	375.92
42	बीकानेर	श्रीगंगानगर	पदमपुर	नगर पालिका	60.00	129.95
43	बीकानेर	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	नगर परिषद	100.00	546.82
44	बीकानेर	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़	नगर पालिका	60.00	124.64
45	कोटा	बारां	अटरू	नगर पालिका	60.00	308.92
46	उदयपुर	बांसवाडा	बांसवाडा	नगर परिषद	100.00	207.20

नगरीय निकायों द्वारा सामग्री मद को **प्रारम्भिक बजट प्रावधान के 30 प्रतिशत** की सीमा में रखा जावे तथा उक्त वर्ष 2025-26 हेतु दिनांक 31.03.2026 तक के लिए अंतिम संशोधित वित्तीय बजट सीमा अनुसार उपलब्ध प्रावधित अतिरिक्त राशि का उपयोग नियमानुसार संशोधित वार्षिक कार्य-योजना में सम्मिलित कार्यों के क्रियान्वयन अन्तर्गत अकुशल श्रमिक एवं मेट के भुगतान मात्र हेतु प्रशासनिक मद को 6 प्रतिशत की सीमा में रखते हुये सुनिश्चित किया जावे।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक

क्रमांक:एफ56(क)(24545)CE/DLB/MSRGY/2025/14004-14037
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 09/10/2025

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekar Juikar
Designation : Director
Date: 2025.10.09 14:43:29 IST
Reason: Approved

3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), डीडवाना-कुचामन, नागौर, टोंक, जालोर, श्रीगंगानगर, सीकर, अजमेर, प्रतापगढ़, सिरोंही, बूंदी, हनुमानगढ़ एवं बांसवाड़ा।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।
6. आयुक्त एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय समिति (MSRGY), डीडवाना, नागौर, टोंक, जालोर, श्रीगंगानगर, सीकर, अजमेर, प्रतापगढ़, सिरोंही, बूंदी, हनुमानगढ़ एवं बांसवाड़ा।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(अरुण व्यास)
परियोजना निदेशक (MSRGY)

Signature valid

Digitally signed by Frank
Chandrashekar Julkar
Designation : Director
Date: 2025.10.09 14:43:29 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119

EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN GOV IN

WEBSITE : WWW.MSRGY.RAJASTHAN GOV IN

क्रमांक:एफ56(क)0CE/DLB/MSRGY/2025/1259-1540

दिनांक: 28/02/2025

1. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY),
समस्त राजस्थान।

2. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका (समस्त), राजस्थान।

विषय:- "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना" की वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक कार्य-योजना तैयार कर 01.04.2025 से कार्य प्रारम्भ करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना" अन्तर्गत वर्ष 2025-26 हेतु समस्त नगर निगम/परिषद्/पालिकाओं द्वारा वार्षिक कार्य-योजना तैयार कर अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है। नगरीय निकायों द्वारा वार्षिक कार्य-योजना वर्ष 2025-26 तैयार किये जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे:-

- वर्ष 2025-26 हेतु कार्यों के प्रस्ताव सर्वप्रथम जिले के प्रभारी निकाय यथा निगम/परिषद् के माध्यम से जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाये जावे एवं प्रस्ताव में मार्गदर्शिका अनुसार अनुमत कार्यों की श्रेणी अंकित करते हुये प्रत्येक कार्य का पूर्ण नाम, कार्य की लागत, श्रम व सामग्री मद की लागत (अर्द्धकुशल श्रमिक यथा मेट, कुशल श्रमिक एवं सामग्री की गणना), कार्य की अवधि एवं कार्य समाप्ति दिनांक वर्णित करते हुये अनुमोदन के लिये प्रेषित किया जावे।
- नगरीय निकाय क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों एवं पोर्टल पर दर्ज मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से आवश्यक मानव-दिवस सृजन हेतु कार्यों का निर्धारण कर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट (shelf of project) में सम्मिलित किया जावे।
- योजनान्तर्गत अनुमत कार्य, जो उपयोगी व उपादेयी हो एवं जिनको तकनीकी रूप से करवाया जाना संभव है उनके वित्तीय प्रावधानों का गहनता से आंकलन कर प्राथमिकता से कार्ययोजना में सम्मिलित किया जावे।
- स्पष्ट पहचान हेतु कार्य का नाम "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत (वार्ड संख्या.....), में (कार्य का स्थान.....), पर (किये जाने वाले कार्य का विवरण.....)" अनुसार ही तकमीने बनवाये जावे तथा कार्य के टुकड़े कर अलग-अलग नाम से स्वीकृति के लिये प्रस्तावित नहीं किया जावे।
- निकाय मद से टेण्डर आमंत्रित कर संवेदक से करवाये जा रहे नियमित कार्यों में योजना के श्रमिकों को कन्वर्जेन्स (आदेश क्रमांक 16251 दिनांक 28.07.2023) के माध्यम से नियोजित किये जाने से पूर्व जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाया जावे तथा ऐसे कार्यों में आवश्यक मानव दिवस की गणना कर अकुशल श्रमिकों की संख्या का आंकलन किया जावे।
- कार्यकारी विभाग (PIA) यथा वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास विभाग एवं अन्य विभागों के द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को कार्य-योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जावे।
- वर्ष 2025-26 के नवीन कार्यों के तकमीने RUIDP ISoR 2023 के आधार पर दर विश्लेषण (Rate Analysis) अनुसार बनाये जावे तथा प्रत्येक Item का श्रम एवं सामग्री मद का आंकलन पृथक्-पृथक् कर योजनान्तर्गत प्रदत्त निर्देशानुसार (Detail Estimate मय साइट प्लान, कार्य स्थल के फोटोग्राफ, गूगल मैप आदि संलग्न कर) तकमीने एवं पत्रावली विभागीय आदेश 14013-252 दिनांक 20.06.2023 के अनुसार तैयार किये जावे।
- वर्ष 2024-25 के अप्रारम्भ/प्रगतिरत कार्यों (शेष मानव दिवस व शेष राशि ही) को कार्य-योजना में सम्मिलित करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि समान नाम के नये कार्यों को वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित नहीं किया जावे, जिससे कार्यों का दोहराव न हो। वर्ष 2025-26 हेतु Carry Forward कार्यों में शेष कार्य/राशि/मानव दिवस एवं अनुमानित अवधि की स्वीकृति जिला स्तरीय समिति से प्राप्त की जावे। Carry Forward कार्यों को पुनः पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में अपलोडेड कार्य में राशि का परिवर्तन, कार्य समाप्ति का परिवर्तन आदि जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् पत्र निदेशालय के MSRGY प्रकोष्ठ को प्रेषित किये जावे।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रगतिरत कार्यों को दिनांक 31.03.2025 तक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावे। जो कार्य 31.03.2025 तक अप्रारम्भ रहते हैं, उन्हें निरस्त एवं

Signature valid

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.02.28 19:34 IST
Reason: Approved



31.03.2025 तक प्रगतिरत कार्यों को यथास्थिति पूर्ण करवाये जाने हेतु जिला स्तरीय समिति से स्वीकृति प्राप्त कर सूचना पोर्टल पर अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

10. राज्य स्तर से नवीन प्रकृति के कार्य सृजन/कार्यों में परिवर्तन/बीएसआर संशोधन/Wage Rate पुनरीक्षण आदि के निर्देश दिये जाने की स्थिति में जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन पश्चात् निकायों द्वारा कार्य-योजना परिवर्तित की जा सकती है। योजना की मार्गदर्शिका की बिन्दु संख्या 9(C) के अनुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक मासिक आधार पर आयोजित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस क्रम में प्रत्येक जिला प्रभारी निगम/परिषद् प्रतिमाह इस बैठक को आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे। जिससे कार्यों की समीक्षा उचित प्रकार से की जा सके। कार्य-योजना में किये गये संशोधन को परिशिष्ट-1 व 2 में समाविष्ट करते हुए सूचना पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए निदेशालय को ई-मेल द्वारा अवगत करावे। नगरीय निकायों द्वारा नवीन कार्यों के प्रस्ताव/संशोधन/संविदा कार्मिकों के संबंध में निर्णय आदि सीधे जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत नहीं करके जिला प्रभारी नगरीय निकायों के माध्यम से जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किया जावे।
11. नवगठित नगर परिषद्/पालिका में योजना क्रियान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक 1244-1263 दिनांक 27.02.2024 एवं पत्रांक 1134-1151 दिनांक 12.02.2025 अनुसार निर्धारित प्रभारी नगरीय निकायों द्वारा आवंटित नगर परिषद्/पालिका की कार्य योजना तैयार कर जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाकर कार्य प्रारम्भ करावे।
12. निकाय द्वारा समस्त अनुमोदित कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में पूर्ण कर दिनांक 15.04.2025 तक पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए, निदेशालय के योजना प्रकोष्ठ को ई-मेल (msrgy@rajasthan.gov.in) के माध्यम से अवगत करावे।

वार्षिक कार्य-योजना तैयार करने हेतु अनुमानित वित्तीय प्रावधान:-

योजना के वित्तीय प्रावधान अंतर्गत प्रति निकाय श्रम मद, सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद की गणना कर नियमानुसार निर्धारित अनुपात सुनिश्चित किया जावे।

(अ) प्रशासनिक मद:- योजनान्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् निकाय स्तर पर नियुक्त संविदा कार्मिकों के वेतन/भत्ते भुगतान, योजना के विज्ञापन एवं प्रशासनिक कार्य से संबंधित अन्य व्यय का भुगतान कुल व्यय राशि के अधिकतम 6 प्रतिशत की सीमा में रखा जावे।

(ब) श्रम मद (70 प्रतिशत):- रोजगार हेतु नियोजित अकुशल श्रमिकों को देय कुल राशि (कुल व्यय का 70 प्रतिशत से अधिक रखा जाना अनिवार्य है)।

(स) सामग्री मद (30 प्रतिशत):- कार्य हेतु नियोजित कुशल श्रमिक, मेट एवं सामग्री का भुगतान कुल व्यय का अधिकतम 30 प्रतिशत (कुल व्यय का 30 प्रतिशत से कम रखा जाना अनिवार्य है)।

(द) कुल प्रावधान:- श्रम मद + सामग्री मद + प्रशासनिक मद

अतः वर्ष 2025-26 हेतु अंतरिम कार्य-योजना निकायवार संलग्न सूची अनुसार नगर निगम प्रत्येक को रु. 1.50 करोड़, नगर परिषद् प्रत्येक को रु. 1.00 करोड़ एवं नगर पालिका प्रत्येक को रु. 0.60 करोड़ आवंटित राशि का अधिकतम 1.5 गुना (Time) तक के कार्यों के प्रस्ताव मय आवश्यक स्वीकृतियां दिनांक 25.03.2025 तक पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए दिनांक 01.04.2025 से कार्य प्रारंभ करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न:- नगरीय निकायों की श्रेणीवार सूची।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 28/02/2025

क्रमांक:एफ56(क)CE/DLB/MSRGY/2025/1541-1556

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. स्टेट एम. आई. एस. मैनेजर (MSRGY) को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत।
7. सुरक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.02.28 10:19:34 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE: WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक:एफ56(क)(13568)CE/DLB/MSRGY/2025/11873-12183

दिनांक:- 22/07/2025

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:-मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगरीय निकायों को श्रेणीवार निर्धारित बजट सीमा से अतिरिक्त बजट राशि की मांग के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-विभागीय पत्र क्रमांक 1259-1540 दिनांक 28.02.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 हेतु नगरीय निकायों को वार्षिक कार्य-योजना तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान करते हुए निकाय श्रेणी अनुसार अंतरिम बजट सीमा हेतु प्रावधान किया गया है। स्थानीय स्तर पर श्रमिक मांग अनुरूप आवश्यक कार्य सृजन एवं क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष के आगामी पखवाड़ों के लिए उक्त सीमा के अतिरिक्त बजट की मांग के प्रस्ताव निदेशालय को निम्न सूचना सहित प्रेषित किये जावें। (अतिरिक्त बजट राशि श्रम मद अंतर्गत ही उपलब्ध करवाई जावेगी)

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में जारी (Release) राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र।
- गत पखवाड़े तक जारी मस्टररोल तथा रोजगार आवंटित श्रमिकों की पखवाड़ेवार संख्या, उपस्थिति एवं औसत श्रमिक मजदूरी राशि के साथ श्रम मद अंतर्गत व्यय राशि का विवरण।
- वर्तमान वर्ष में आगामी पखवाड़ों में पोर्टल पर दर्ज श्रमिक मांग की संख्या तथा इसके अनुसार अनुमानित व्यय राशि का विवरण।
- जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित श्रमिक मांग अनुरूप संशोधित वार्षिक कार्य-योजना।
- जिला स्तरीय समिति से श्रमिक मद हेतु 31.03.2026 तक अतिरिक्त बजट आवंटन की अभिशंका।

अतः अतिरिक्त बजट मांग प्रकरणों में नगरीय निकायों द्वारा उक्तानुसार आवश्यक स्वीकृतियां जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अनुमोदित करवाकर वर्ष 2025-26 का श्रम मद मांग पत्र प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये जावें।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)

निदेशक

दिनांक:- 22/07/2025

क्रमांक:एफ56(क)(13568)CE/DLB/MSRGY/2025/12184-12235

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र अजमेरा)

परियोजना निदेशक (MSRGY)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE : WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक:एफ56(क)(13568)CE/DLB/MSRGY/2025/13150-13460

दिनांक: 17-09-2025

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:—मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा अतिरिक्त बजट हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में।

प्रसंग:—निदेशालय के पत्रांक 1259-1540 दिनांक 28.02.2025 एवं 11873-12183 दिनांक 22.07.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा नगरीय निकायों को वार्षिक कार्य-योजना 2025-26 तैयार किये जाने हेतु निर्देश प्रदान करते हुए नगरीय निकाय की श्रेणी अनुसार अन्तरिम बजट प्रावधान किया गया है। श्रमिक रोजगार की स्थिति अनुरूप नगरीय निकायों की अतिरिक्त बजट मांग के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक 11873-1218 दिनांक 22.07.2025 द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की पूर्ति कर नवीन कार्यों/कार्य विस्तार के अनुसार संशोधित कार्य-योजना को जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाते हुए अतिरिक्त बजट प्रस्ताव निदेशालय को भिजावाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

नगरीय निकाय द्वारा योजनान्तर्गत तैयार किये गये कार्यों के प्रस्ताव को जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व निम्न बिंदुओं की पालना सुनिश्चित की जावे:-

- निकाय क्षेत्र में योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत रोजगार की मांग अनुसार आवश्यक कार्यों का सृजन करते हुए नियमानुसार तकमीना तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृत करवाये जावे।
- कार्यों के तकमीने तैयार किये जाने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 1896 दिनांक 06.03.2025 की पालना सुनिश्चित की जावे तथा गणना का आधार RUIDP SOR-2023 तथा श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.12.2024 रखते हुए श्रम मद आंकलित किया जावे।
- प्रस्तावित कार्यों के तकमीने में Labour Component की गणना प्रचलित RUIDP SOR-2023 के दर विश्लेषण (Rate Analysis) अनुसार टास्क एवं विभागीय आदेश क्रमांक 1896 दिनांक 06.03.2025 अनुसार मजदूरी दर के आधार पर आंकलित की जावे तथा RUIDP SOR-2023 में वर्णित Composite items की पूर्ण दरें प्रयुक्त नहीं की जावे।
- तकमीने में श्रम एवं सामग्री मद को पृथक रखा जावे तथा अतिरिक्त आवश्यक राशि की मांग अंतर्गत मात्र श्रम मद एवं मेट भुगतान हेतु प्रस्तुत की जावे।
- एक वार्ड/स्थान पर समान नाम के दोहरे (Doubling) कार्य प्रस्तावित नहीं किये जावे।
- योजना के दिशा-निर्देशों अनुरूप निर्धारित प्रपत्रों में कार्यों की समस्त आवश्यक स्वीकृतियां जारी करते हुए कार्यों की पत्रावलियों का संधारण किया जाना सुनिश्चित करावें।

- संशोधित कार्ययोजना का जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन एवं श्रम मद में चाही गई अतिरिक्त बजट मांग की अनुशंषा सहित प्रस्ताव भिजवाये जावे।

उक्तानुसार निदेशालय को अतिरिक्त बजट मांग पत्र भिजवाने से पूर्व नियमानुसार कार्य-योजना संशोधन प्रस्ताव तैयार करावें तथा योजनान्तर्गत प्रदत्त दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शिका की पालना सुनिश्चित करावें।


(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक

क्रमांक:एफ56(क)(13568)CE/DLB/MSRGY/2025/ 13461-13512
प्रतिलिपि:-

दिनांक: 17-09-2025

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।


(अरूण व्यास)
परियोजना निदेशक (MSRGY)